

27.02.2024 को आयोजित कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति बैठक का विवरण

27.02.2024 को सुबह 10:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में मोहाली/चंडीगढ़ क्षेत्र में निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई अनुमोदन समिति के कार्यवृत्त आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा।
2. श्री उत्पल आचार्य, संयुक्त डीजीएफटी लुधियाना
3. श्री मनकिरण सिंह, उप आयुक्त (सीमा शुल्क), लुधियाना
4. श्री कमलप्रीत सिंह, उप प्रबंधक, पीएसआईसी।

इसके अलावा, बैठक के दौरान अनुमोदन समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे

- i. श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
- ii. श्री करण गोयल, सहायक विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़
- iii. श्री संदीप कुमार, निर्दिष्ट अधिकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़
- iv. श्री मनीष भटनागर, प्राधिकृत अधिकारी, आरजीसीटीपी I और II, चंडीगढ़
- v. श्री दीपक बजाज, प्राधिकृत अधिकारी, कार्कसिटी (विशेष आर्थिक क्षेत्र), मोहाली

चूंकि गणपूर्ति उपलब्ध था, इसलिए बैठक कार्यसूची के अनुसार क्रमिक रूप से आगे बढ़ सकी। प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ इकाइयों के आवेदकों/प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

कार्यसूची मद संख्या 1:-

विषय: 15.01.2024 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

1.1 समिति को सूचित किया गया कि 15.01.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 15.01.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 2:- अनुमोदन हेतु पूंजीगत वस्तुओं की सूची का प्रस्ताव:-

2.1 स्वीकृति पत्र संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 09.06.2006 - कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विकासक), एसएस नगर, मोहाली के अधिकृत संचालन के लिए सामानों की सूची को मंजूरी। - संबद्ध

2.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) ने 31 जनवरी, 2024 के पत्र के माध्यम से अपने अधिकृत संचालन के लिए 4749.455 लाख रुपये के सामान की सूची प्रस्तुत की थी। विकासक ने अपने अनुरोध के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12(2) के तहत परिकल्पित विशेषाधिकृत अभियंता प्रमाणपत्र भी संलग्न किया है।

सुरेंद्र मलिक

2.1.2 विशेषाधिकृत अभियंता प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है कि (1) उक्त सामान का उपयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और (2) सामान 2.5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र की साज-सज्जा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, यह 3.025 हेक्टेयर में फैले एक परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र भवन के रखरखाव और 1.885 हेक्टेयर के निकटवर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भी था।

माल की सूची का अधिकृत संचालन-वार विवरण इस प्रकार था:-

क्रमांक	अधिकृत संचालन का नाम	मात्रा (लाख रुपये में)	निर्देश संख्या 50 के अनुसार अधिकृत संचालन
1	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन का निर्माण	2990.803	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 22
2	विद्युत गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उचित क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।	767.155	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 04
3	इंटरनेट संयोजकता सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	73.075	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 05
4	प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलित	435.166	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 21
5	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	141.900	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 07
6	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	204.865	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 24
7	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/कैंटीन	11.700	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 27
8	स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और संकेत वाली सड़क	42.100	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 01
9	भूनिर्माण और जल निकाय।	82.691	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 08
	कुल	4749.455	

2.1.3 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजीव बाठला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.1.5 विस्तृत जांच के बाद, अनुमोदन समिति ने "प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलित" शीर्षक के तहत अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक 8 अंकों के एचएस कोड के साथ गैसों की सूची प्रस्तुत करने के अधीन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 3:- नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव:-

3.1 विषय: - कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कोपलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस (विशेष आर्थिक क्षेत्र), ए-40-ए, फेज़ VIII-बी, औद्योगिक क्षेत्र, मोहाली, पंजाब

3.1.1 समिति को सूचित किया गया कि कोपलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) के परिसर में फॉर्म- 'एफ' में निर्धारित विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 17 के अनुसार एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था।

3.1.2 कंपनी कोपलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 19.03.1993 में किलोस्कर कोपलैंड लिमिटेड के नाम से शामिल किया गया था और 19.07.2023 को इसका नाम बदलकर कोपलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया

सुरेंद्र मलिक

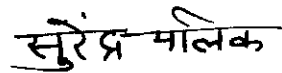
गया। यह कोपलैंड यूएस की सहायक कंपनी है। कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले तापक, हवादार, वातानुकूलित और प्रशीतन उत्पादों और समाधानों के निर्माण में माहिर है। कोपलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में स्थित दो विनिर्माण संयंत्रों और एक अभियांत्रिकी केंद्र के साथ 30 वर्षों से भारत में काम कर रहा है। प्रस्तावित अधिकृत संचालन सीपीसी कोड के तहत सेवाएं हैं i) **998313/8313** - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परामर्श और सहायता सेवाएं और ii) **998313/8314** - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) डिजाइन और विकास सेवाएं।

3.1.3 इकाई ने 164.88 लाख रुपये के पूंजीगत सामान के आयात की परिकल्पना की है। निर्यात के लिए इकाई का अनुमान 5 वर्षों की अवधि में 10554.48 लाख रुपये के निवल विदेशी मुद्रा के साथ 11052.48 लाख रुपये था।

3.1.4 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विनीत दुग्गल और श्री परविंदर सिंह अपने प्रस्ताव को समझाने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

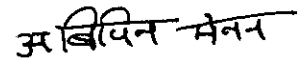
3.1.5 उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र), एसएस नगर, मोहाली में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त

